

न्यायालय तहसीलदार.....वृत्त..... तहसील..... जिला.....

रा.प्र.क्र.

ह.प.न.....रा.नि.मं.....

श्री/श्रीमती.....

जाति..... निवासी.....

तहसील..... आवेदक

विरुद्ध

म.प्र. शासन अनावेदक

(आदेश पारित दिनांक / /)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक/ आवेदिका.....

पिता /पति..... जाति..... निवासी.....

तहसील.....जिला..... के द्वारा ग्राम..... प.ह.न.....

रा.नि.मं..... तहसील..... जिला..... स्थित भूमि ख.न.....

रकबा..... हे. कुल रकबा..... हे. भूमिस्वामी.....

पिता/पति..... जाति..... के नाम पर राजस्व अभिलेख में खातेदार/सहखातेदार के रूप में दर्ज है जो नाबालिक से बालिग होने पर आवेदन पत्र, शपथ पत्र, खसरा, अंकसूची, आधार कार्ड आदि प्रस्तुत किया है।

प्रकरण दर्ज किया जाकर इशतेहार का प्रकाशन किया गया। इशतेहार बाद कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

प्रकरण में हल्का पटवारी से जांच प्रतिवेदन लिया गया। पटवारी ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदित भूमि भूमिस्वामी आवेदक/खातेदार बालिग हो चुके हैं, जिसे ना.बा. खारिज कर बालिग दर्ज किया जावे।

प्रकरण में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों एवं हल्का पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम.....प.ह.न..... रा.नि.मं..... तहसील..... जिला.....

स्थित भूमि ख.न रकबा..... कुल रकबा..... हे.

भूमिस्वामी..... पिता/पति..... जाति..... को नाबा. से बालिग

किये जाने का आदेश पारित किया जाता है। हल्का पटवारी प्रतिवेदन, पंचनामा, आदेश का अभिन्न अंग होगा।

हल्का पटवारी आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त करे। अद्यतन खसरा की नकल प्रकरण में संलग्न करे तत्पश्चात प्रवाचक प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेखागार भेजे।

तहसीलदार